The Bharat Scouts and Guides

National Headquarters

Address: Lakshmi MazumdarBhawan, 16, M. G. Marg, I. P. Estate, New Delhi-110002

Website :www.bsgindia.orgEmail Id: info@bsgindia.org   Phones:+91-11-23370126,23378667

प्रति,

समस्त राज्य सचिव

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स राज्य संघ

भारतीय संघ

परिपत्र संख्या : 27/2021

दिनाँक : 18 मार्च, 2021

विषय :– भारत स्काउट्स एवं गाइड्स नियम संख्या–68–राज्य आयुक्त भूमिका एवं उत्तरदायित्व विषयक।

महोदय/महोदया,

आपको यह सूचित करना है कि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की नियमावली के संशोधित नियम संख्या 68 के अनुसार इसमें कब, स्काउट, रोवर एवं वयस्क संसाधनों हेतु चार राज्य आयुक्तों एवं बुलबुल, गाइड, रेंजर्स एवं वयस्क संसाधनों हेतु चार राज्य आयुक्तों का प्रावधान है।

राज्य आयुक्त कब/स्काउट/रोवर/वयस्क संसाधन एवं राज्य आयुक्त बुलबुल/गाइड/रेंजर/वयस्क संसाधन के संबन्धित अनुभाग के प्रमुख के रूप में उनके कार्य नियम संख्या के रूप में उनके कार्य नियम संख्या (68.3.1) से (68.3.5) में वर्णित है। इसी प्रकार, नियम संख्या 75.2.4 के अनुसार राज्य प्रशिक्षण आयुक्त योग्य व्यक्ति की राज्य प्रशिक्षण दल के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए सम्बन्धित राज्य पुरस्कार (वयस्क संसाधन) को सिफारिश करेंगे। नियम संख्या 75.2.9 में कहा गया है कि राज्य प्रशिक्षण आयुक्त उन स्काउटर्स/गाइडर्स के लिए जिन्होंने आवश्यकताओं को पूर्ण कर लिया है, सम्बन्धित राज्य आयुक्त वयस्क संसाधन की सिफारिश पर उपनिदेशक लीडर ट्रेनिंग से उनके लिए पार्चमेंट, बीडस एवं पिन प्रदान करने हेतु सिफारिश करेंगे। नियम संख्या 83.2 एवं 85 में भी राज्य आयुक्त (वयस्क संसाधन) की भूमिका दी गई।

राज्य संघों से अनुरोध किया जाता है कि वे राज्य मुख्य आयुक्त के हस्ताक्षरों से जारी किये जाने वाले वांरट ऑफ अपॉइंटमेंट से सम्बन्धित ए.पी.आर.ओ भाग–1 अध्याय–3 के संशोधित नियम संख्या 28.2.6 का अवलोकन करें। इसी प्रकार ए.पी.आर.ओ. भाग–1 नियम संख्या 40 में कहा गया है कि वारंट का नवीनीकरण उसी प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसने वारंट को जारी किया हो। इसी प्रकार नियम संख्या 41 कहता है कि राज्य मुख्यायुक्त द्वारा जारी वारंट को सम्बन्धित राज्य आयुक्त के परामर्श से राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा लिखित रूप में दिए गए कारणों से वापस लिया जा सकता है।

यह आपकी सूचनार्थ एवं सम्बन्धित राज्य आयुक्त को सूचित करने हेतु प्रेषित है।

सधन्यवाद।

भवदीय,

(राज कुमार कौशिक)
निदेशक

प्रतिलिपि :–

1. समस्त राष्ट्रीय मुख्यालय पदाधिकारी, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, राष्ट्रीय मुख्यालय।
2. अध्यक्ष/सचिव, रेल्वे स्काउट एवं गाइड बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली–110016।
4. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, इंस्टीट्यूशनल एरिया, बी–15, सेक्टर–62, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201309।
5. समस्त जिला सचिव, दम्माम, रियाद, मस्कट एवं जमीयत यूथक्लब को आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन के साथ।